22/4/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024 / 530
मुकदमा नम्बर 185 / 2024

दर्ज दिनांक– 05.12.2024

बाबुलाल पुत्र जमनाराम जाति माली निवासी ग्राम झाझड,तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री आन्नदीलाल सैनी
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 10.09.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम झाझड पटवार हल्का झाझड की सरहद में भूमि खाता सं. नया 745 पुराना 783 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 148 रकबा 0.51 है0,खसरा नं. 149 रकबा 0.62 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र जमनाराम के स्थान पर बाबुलाल पुत्र जमनाराम दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक / भू.अ. / 25 / 6648 दिनांक 11.03.2025 पेश हुई।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक / भू.अ. / 25 / 6648 दिनांक 11.03.2025 के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ तथा प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम झाझड पटवार हल्का झाझड की सरहद में भूमि खाता सं. नया 745 पुराना 783 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 148 रकबा 0.51 है0,खसरा नं. 149 रकबा 0.62 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

राजेन्द्र पुत्र जमनाराम के स्थान पर बाबुलाल पुत्र जमनाराम, दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/6648 दिनांक 11.03.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू

23/4/25

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ़

क्रमांक/भू.अ./2025/ 6648 — दिनांक:- 11/3/2025

प्रेषित:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
नवलगढ़.

विषय:- उनवानी प्रकरण बाबुलाल बनाम तहसीलदार मु.न. 185/2024 अ.धा. 136 में तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान आपके पत्र क्रमांक/कोर्ट/तहरीर/2024/737 दि. 8/1/2024 के सन्दर्भ में।

Rev.
11.3.25

237
11.3.25

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उनवानी प्रकरण बाबुलाल बनाम तहसीलदार मु.न. 185/2024 अ.धा. 136 में तथ्यात्मक रिपोर्ट पटवारी हल्का श्यामड़ से प्राप्त हुई है जो पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है। प्रार्थी सम्पूर्ण रूप से नाम परिवर्तन करवा रहा है जिसका साबित का भार प्रार्थी पर है।

संलग्न:- मूल रिपोर्ट (पटवारी)

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

फर्द मौका जाँच ग्राम - झाझड़

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महो०
नवलगढ़

विषयः - उनवानी प्रकरण बाबूलाल बनाम तहसीलदार नवलगढ़ मु० न 185 / 2024 अ० धा० 136 में तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत।

प्रसंग :- आपका आदेश क्रमांक / भू. अ / 2025 / 03 दिनांक 10/2/2025 के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी बाबूलाल पु० जमनाराम जाति-माली निवासी-झाझड़ द्वारा प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती बाबत अ. धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड मे अपना नाम दुरुस्त कराने का निवेदन किया है। जिसकी रिकॉर्ड एवं गाँव के मजमेआम मे जाकर जाँच कि गई। जाँच रिपोर्ट निम्न प्रकार रही है

-1 यह है कि राजस्व ग्राम - झाझड़ की जमाबंदी संवत् 2075-78 के खाता स. 755 मे भूमि खसरा न० 148 रकबा 0.51 है०, 149 रकबा 0.62 है० की खातेदारी राजेन्द्र पु० जमनाराम हि० 1/12 जाति-माली सा० देह खातेदार (सयुक्त खातेदार है) नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। मिले है। इनके द्वारा प्रार्थी मौके पर प्रार्थी के परिजन एवं सह खातेदार मिले है। इनके द्वारा प्रार्थी के आधार कार्ड, जनाधार, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि उपलब्ध करायें उक्त दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी का नाम बाबूलाल दर्ज है। मौके पर उपलब्ध कराये दस्तावेज एवं गाँव के मौत बिरान आदि द्वारा बताया कि प्रार्थी का सही नाम बाबूलाल है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौत बिरान से कि गई जानकारी के अनुसार प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नाम राजेन्द्र पु० जमनाराम हि० 1/12 के स्थान पर बाबूलाल पु० जमनाराम हि० 1/12 दर्ज किया जाना उचित है फर्द मौका जाँच रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये ।।

संलग्न: जमाबन्दी व आधुनिक नकल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जनाधार व आधार कार्ड की छायाप्रति (ग्रा झाझड़)

गवाह
Sunil saini
Prem Prakash

रामस्वरूप
रामस्वरूप
प्रशासक
ग्राम पंचायत झाझड़
प.स.नवलगढ़

[signature]